

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507] No. 507] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2018/श्रावण 4, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2018/ SHRAVANA 4, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं. 13/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का. नि. 677(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -
 - क. मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा –

4315 GI/2018 (1)

(3)	(4)	(5)
"(i) किसी सेवा के द्वारा या उसके एक हिस्से के रूप में ऐसी वस्तु की आपूर्ति जो कि ऐसे खाद्य प्रदार्थ या अन्य वस्तु के रूप में हो जिसका मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या जो अन्य कोई पेय के रूप में हो, जिसे किसी रेस्त्रां, ईटिंग ज्वाइंट जिनमें मैस, कैंटीन भी आते हैं, के द्वारा परोसा जाता हो, चाहे इनका उपभोग उसी परिसर में जहां कि ऐसे खाद्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किए जाने वाली अन्य वस्तु या पेय की आपूर्ति की जा रही हो, होता हो या उससे बाहर होता हो, उनसे भिन्न जो कि किसी होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लबस, कैंप साइट्स या अन्य वाणिज्यिक स्थान के रूप में हैं, जिनका उपयोग आवास या ठहरने के स्थान के रूप में होता हो, जिनका ठहरने की किसी भी यूनिट का घोषित टैरिफ प्रति यूनिट प्रतिदिन 7500/- रुपए और इससे अधिक या समतुल्य हो स्पष्टीकरण 1. इस प्रविष्टि में किसी कैंटीन, मैस, कैफेटेरिया या किसी संस्थान जैसे कि स्कूल, कालेज, अस्पताल, औद्योगिक इकाई, कार्यालय के भोजन वाले स्थान में की जाने वाली ऐसी आपूर्ति भी शामिल है जो कि किसी ऐसे संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी आपूर्ति के लिए ऐसे संस्थान के साथ हुए अनुबंध के तहत की जा रही हो, बर्शते कि ऐसी आपूर्ति उत्सव या समारोह आधारित न हो । स्पष्टीकरण 2. इस प्रविष्टि में वे आपूर्तियां नहीं आएगी जो कि क्रम संख्या 7 (v) में उल्लिखित हैं । स्पष्टीकरण 3. "घोषित टैरिफ में" ठहरने की यूनिट (जो कि किराए पर ठहरने के लिए दी गई हो) में उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं जैसे कि फर्नीचर, एयरकंडीशनर, रेफिजरेटर या अन्य कोई सुविधा पर लगने वाले सभी प्रभार भी आते हैं लेकिन ऐसी यूनिट पर प्रकाशित प्रभार पर दिए जाने वाले किसी 'डिस्काउंट' को शामिल नहीं किया जाएगा।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो । (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें)
(iक) भारतीय रेल या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लि. या उनके लाइसैंसियों के द्वारा गाड़ी में या प्लेटफार्म पर खाद्य प्रदार्थों, जिनका की मानव के द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो, की या किसी भी पेय की आपूर्ति।	2.5	बशर्तें कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो। (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें)

- ख. मद (ii), (vi) और (viii) में,-
 - (क) "टैरिफ घोषित" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ख) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;
 - ग. मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया :—

(3)	(4)	(5)
"(v) किसी सेवा या उसके एक हिस्से के तहत खाद्य प्रदार्थ या अन्य वस्तुएं जिनका कि मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या किसी पेय की किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल और अन्य आउटडोर/इनडोर समारोह में की जाने वाली आपूर्ति, जो कि उत्सव या समारोह के अवसर पर होती हो।	9	_",

(ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष कॉलम (3) में मद (vi) के स्थान पर और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(∨i) माल का बहु साधन द्वारा परिवहन		
स्पष्टीकरण- (1) "बहु साधन द्वारा परिवहन" से अभिप्राय माल का कम से कम, परिवहन के दो साधनों के प्रकार द्वारा माल को उठाने के स्थान से माल के डिलीवरी के स्थान पर "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" के द्वारा परिवहन; (2) "परिवहन के साधन के प्रकार" से अभिप्राय माल को सड़क, हवाई जहाज, रेल, अंतरर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किए जाने से है; (3) "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-	6	-
 क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराए के एवज में बहुप्रकार के साधनों के द्वारा परिवहन करने का वचन देता है; ख) प्रधान के रूप मैं कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो। 		
(vii) माल के परिवहन की सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) में उल्लिखित सेवाओं से भिन्न हों।	9	_",

(iii) क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान के पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"22	शीर्ष 9984	(क) केवल ई-बुक की आपूर्ति		
	(दूरसंचार	स्पष्टीकरण -		
	प्रसारण एवं			
	सूचना	इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, ई-बुक्स से अभिप्राय किसी मुद्रित	2.5	-
	आपूर्ति र :	पुस्तक (जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की		
	सेवाएं)	प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4901 के अंतर्गत आती है) के इलैक्ट्रानिक		
		संस्करण की ऑनलाइन आपूर्ति से है जिसे कंप्यूटर पर या हाथ में लेकर		

पढ़े जाने वाले उपकरण से पढ़ा जा सकता है।		
(ii) दूरसंचार प्रसारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं उनसे भिन्न जो कि ऊपर	9	_"_
(i) में उल्लिखित हें।		

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू] गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.िन. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.िन. 64 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

No. 13/2018-Central Tax (Rate)

G.S.R. 677(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28thJune, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (a) against serial number 7, in column (3),-
 - (a) for item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(i) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]

Explanation 1. This item includes such supply at a canteen, mess, cafeteria or dining space of an institution such as a school, college, hospital, industrial unit, office, by such institution or by any other person based on a contractual arrangement with such institution for such supply, provided that such supply is not event based or occasional. Explanation 2. This item excludes the supplies covered under item 7 (v). Explanation 3. "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the		
published charges for such unit. (ia) Supply, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, by the Indian Railways or Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]";

- (b) in items (ii), (vi) and (viii),-
 - A. for the words "declared tariff" wherever they occur, the words "value of supply" shall be substituted;
 - B. the Explanation shall be omitted;
- (c) for item (v), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(v) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being		
food or any other article for human consumption or any drink, at		
Exhibition Halls, Events, Conferences, Marriage Halls and other	9	-";
outdoor or indoor functions that are event based and occasional		
in nature.		

(ii) against serial number 9, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3),

(4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(vi) Multimodal transportation of goods.		
Explanation		
(a) "multimodal transportation" means carriage of goods, by at least	6	-
two different modes of transport from the place of acceptance of		
goods to the place of delivery of goods by a multimodal transporter;		
(b) "mode of transport" means carriage of goods by road, air, rail,		

inland waterways or sea;		
(c) "multimodal transporter" means a person who,-		
(A) enters into a contract under which he undertakes to perform		
multimodal transportation against freight; and		
(B) acts as principal, and not as an agent either of the consignor,		
or consignee or of the carrier participating in the multimodal		
transportation and who assumes responsibility for the		
performance of the said contract.		
(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and	0	",
(vi) above.	9	- ;

(iii) for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"22	Heading 9984 (Telecommunications, broadcasting and information supply services)	(i) Supply consisting only of e-book. <i>Explanation.</i> - For the purposes of this notification, "e-books" means an electronic version of a printed book (falling under tariff item 4901 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)) supplied online which can be read on a computer or a hand held device.	2.5	-
		(ii) Telecommunications, broadcasting and information supply services other than (i) above.	9	-".

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU] GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 11/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 1/2018-Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 *vide* number G.S.R. 64(E), dated the 25th January, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं. 14/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का. नि. 678(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार परिषद् की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा सा.का.नि. संख्या 691(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) में, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 12/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-